न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code — UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–477/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–1314/2026
(CNR No: UPGZ010029412026)

किशन पुत्र बाबूलाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी–साहिबाबाद, थाना साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद।

.............आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

........................विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–47/2026
धारा–306, 61(2), 317(2) बी०एन०एस०
थाना–साहिबाबाद, गाजियाबाद।

....

<u>30.03.2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त किशन की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पैरोकार कुमारी विध्या पुत्री ज्ञान सिंह ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा देव गोयल ने दिनांक 25.01.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादी का पाईप मार्केट साहिबाबाद में थोक विक्रेता का कार्य है। उसकी फर्म श्रीजी सैनेट्री के नाम से है, जिसमें उसकी दुकान के गल्ले से 3 लाख 80 हजार रुपये नकद की चोरी हुई है। इस चोरी में उसे उसकी दुकान पर पहले से काम करने वाले लड़के किशन, जीतू एवं प्रियांशु पर शक है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान में कोई चोरी नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस ने चोरी करने वाले अभियुक्त जीतू को रुपये लेकर छोड़ दिया और उसे निर्दोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त [illegible] साथ

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.31 09:52:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मिलकर वादी की दुकान से चोरी की गयी है। आवेदक/अभियुक्त से बरामदगी दर्शित की गयी है। जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपने मालिक (वादी) की दुकान से 3 लाख 80 हजार रुपये की चोरी की गयी है। पुलिस चैकिंग के दौरान आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्त से उक्त चोरी से संबंधित 1,05,300/– रुपये की बरामदगी होना कहा गया है, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 21.01.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त किशन की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 30.03.2026